

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 336.—केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्वयात्मक अर्थ निकाला न हो,—

(क) 'अधिनियम' से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ख) 'धारा' से, उक्त अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(ग) अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए कोई अनुरोध, दस रुपए की आवेदन फीस के साथ होगा, जो समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी, जो लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को संदेय होगा।

4. धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी, जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी :—

(क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए-4 या ए-3 आकार) कागज के लिए दो रुपए;

(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत;

(ग) नमूनों या माडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत; और

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण लिए, पहले घंटे के लिए कोई फीस नहीं; और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पाँच रुपए की फीस।

5. धारा 7 की उप धारा (5) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी, जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी :—

(क) डिस्कट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए, प्रति डिस्कट या फ्लॉपी, पचास रुपए; और

(ख) मुद्रित प्ररूप में दी गई सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए दो रुपए।

[फा. सं. 34012/8(एस.)/2005-स्थापना(ख)]

हरिं कुमार, निदेशक

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 16th September, 2005

G.S.R. 336.—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In the rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) 'Act' means the Right to Information Act, 2005;
- (b) 'section' means section of the Act;
- (c) all other words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. A request for obtaining information under sub-section (1) of Section 6 shall be accompanied by an application fee of rupees ten by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the Accounts Officer of the public authority.

4. For providing the information under sub-section (1) of Section 7, the fee shall be charged by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the Accounts Officer of the public authority at the following rates:—

- (a) rupees two for each page (in A-4 or A-3 size paper) created or copied;
- (b) actual charge or cost price of a copy in larger size paper;
- (c) actual cost or price for samples or models; and
- (d) for inspection of records, no fee for the first hour; and a fee of rupees five for each fifteen minutes (or fraction thereof) thereafter.

5. For providing the information under sub-section (5) of Section 7, the fee shall be charged by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the Accounts Officer of the public authority at the following rates:—

- (a) for information provided in diskette or floppy rupees fifty per diskette or floppy; and
- (b) for information provided in printed form at the price fixed for such publication or rupees two per page or photocopy for extracts from the publication.

[F.No. 34012/8(S)/2005-Estt. (B)]

HARI KUMAR, Director



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 28, 2005/कार्तिक 6, 1927

No. 442]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 2005/KARTIKA 6, 1927

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2005

सा.का.नि. 649(अ).—केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 के नियम 4 में खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई फीस नहीं ; और उसके पश्चात् प्रत्येक घंटे (या उसके भाग) के लिए पाँच रुपए की फीस।”

[फा. सं. 34012/8(एस)/2005-स्थापना (ख)]

टी. जैकब, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :— मूल नियम कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 16-9-2005 की अधिसूचना संख्या-34012/8(एस)/2005-स्थापना (ख) [दिनांक 1-10-2005 की संख्या सा.का.नि. 336, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i)] द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2005

G.S.R. 649(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of Sub-section (2) of Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005, in rule 4, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

“(d) for inspection of records, no fee for the first hour; and a fee of rupees five for each subsequent hour (or fraction thereof).”

[F. No. 34012/8(S)/2005-Estt. (B)]

T. JACOB, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) notification No. 34012/8(S)/2005-Estt. (B) dated 16th September, 2005 [No. G.S.R. 336 dated 1st October, 2005, Part II, Section 3, Sub-section (i)].



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]
No. 210]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 18, 2006/वैशाख 28, 1928,
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 18, 2006/VAISAKHA 28, 1928

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2006

सा.का.नि. 294(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) संशोधन नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 में,—

(क) नियम 3 में, “बैंकर चैक” शब्दों के पश्चात्, “या भारतीय पोस्टल आर्डर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) नियम 4 में, “बैंकर चैक” शब्दों के पश्चात्, “या भारतीय पोस्टल आर्डर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) नियम 5 में, “बैंकर चैक” शब्दों के पश्चात्, “या भारतीय पोस्टल आर्डर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

[फा. सं. 34012/8(एस.)/2005-स्था. (बी.)]

सी. बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 1 अक्टूबर, 2005 में, सं. सा.का.नि. 336(अ) तारीख 16 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं. सा.का.नि. 649(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2005 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2006

G.S.R. 294(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of Sub-section (2) of Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005, namely :—

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005,—

(a) in rule 3, after the words “bankers cheque”, the words “or Indian Postal Order” shall be inserted ;

(b) in rule 4, after the words “bankers cheque”, the words “or Indian Postal Order” shall be inserted ;

(c) in rule 5, after the words “bankers cheque”, the words “or Indian Postal Order” shall be inserted ;

[F.No. 34012/8(S)/2005-Estt. (B)]

C. B. PALIWAL, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 1st October, 2005 *vide* number G.S.R. 336 dated the 16th September, 2005 and were amended *vide* number G.S.R. 649(E) dated the 27th October, 2005.